

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक- प.33/मुअजस/अ.सम्पति/गोप/2015/313

दिनांक- 30/6/16.

मुख्य अभियन्ता

नर्मदा नहर परियोजना सांचोर/उत्तर संभाग हनुमानगढ़/एस डब्ल्यू आर
पी डी जयपुर/गुण नियंत्रण एवं सतर्कता जयपुर/जल संसाधन संभाग
कोटा/आई एम टी आई कोटा/मु०अ०(पूर्व)एवं अति०सचिव सि. क्षै. वि.
जयपुर/मु०अ० (पश्चिम) सि. क्षै. वि. बीकानेर/ई.गा.न.प. बीकानेर/ई.गा.न.प.
जैसलमेर/बी बी एम बी तलवाड़ा।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

जल संसाधन संभाग जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/रेगुलेशन एवं सतर्कता बीकानेर।

विषय:- अचल सम्पति का विवरण कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

संदर्भ:- कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक-प.13(76)का./क-1/गो.प्र./2011 जयपुर
दिनांक-27.06.2016 एवं इस कार्यालय के पत्रांक-38. दिनांक-23.01.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में आप सभी को निर्दिष्ट किया गया था कि समस्त राजपत्रित अधिकारी अपनी अचल सम्पति विवरण सीधे ही अपने नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। जो राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं किये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने एवं अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देशो के अन्तर्गत विवरण 31.01.2016 तक प्रस्तुत करने थे जबकि आदिनांक तक भी समस्त राजपत्रित अधिकारी के अचल सम्पति विवरण ना तो वेबसाईट पर अपलोड किये गये ओर ना ही विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किये गये।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ संगठनों में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों की वेतनवृद्धि अचल सम्पति की सूचना प्राप्त होने पर ही स्वीकृत करें। अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन समस्त राजपत्रित अधिकारी की अचल सम्पति विवरण की सूची निचे दिये गए प्रारूप के अनुसार अविलम्ब ई-मेल आई.डी. (confidentialcewr@gmail.com) पर भिजवाए।

क्र. सं.	आधिकारी का पुरा नाम	पद	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किया। हाँ/नहीं (यदि नहीं, तो कारण)
----------	---------------------	----	----------	----------------	---

संलग्न-कार्मिक विभाग का परिपत्र

इसे सवोच्च प्राथमिकता दें।

अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रा०स०
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
विभाग, राजस्थान, जयपुर